C-36

11-07-96

संलग्नक-क

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,
लखनऊ।

सं0 1327-का.वि.डी/रा.वि.प-29/96-1(का)विडी/07, दिनांक 11 जुलाई, 1996

कार्यालय-ज्ञाप

परिषद के विभागीय चयन समितियों की संस्तुतियों के आधार पर भरे जाने वाले सभी संवर्गों के पदों पर "श्रेष्ठता" एवं "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" के मापदण्डों के आधार पर प्रोन्नतियाँ किए जाने की प्रक्रिया संलग्नानुसार निर्धारित की है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

परिषद की आज्ञा से,

रणवीर सिंह
सचिव

सं0 1327-का0वि0डी(1)/राविप-29/96-1(का)विडी/07

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया विभागीय चयनों में परिषद द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया का अनुपालन अपने एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करें :-

1. अध्यक्ष के प्रमुख निजी सचिव एवं संयुक्त सचिव, उ0प्र0रा0वि0प0।
2. सदस्य, वित्त एवं लेखा/तापीय/वितरण/जल-विद्युत एवं प्रबन्ध, उ0प्र0रा0वि0प0.
3. सचिव/अपर सचिव (प्रशा/विधि/कार्मिक) के निजी सचिव/विधि अधिकारी/निदेशक(कार्मिक), उ0प्र0रा0वि0प0।
4. समस्त मुख्य अभियंता स्तर-1 व II/समस्त निदेशक, उ0प्र0रा0वि0प0।
5. समस्त अधीक्षण अभियंता, उ0प्र0रा0वि0प0।
6. मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0रा0वि0प0।
7. परिषद मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण/वैयक्तिक सहायक।

आज्ञा से,

(विनोद चन्द्र शर्मा)
संयुक्त सचिव

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

C-37

(2)

पदोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया के मापदण्ड

विभागीय चयन समिति की अनुशंसा पर परिषद में रहे आने वाले सभी संवर्गों के पदों पर "श्रेष्ठता" एवं "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" दोनों प्रकार के मापदण्ड के आधार पर पदोन्नति हेतु किए जाने वाले चयन की प्रक्रिया निम्नवत निर्धारित की जाती है :-

1. जहाँ मापदण्ड ""श्रेष्ठता"" है :-

मुख्य अभियंता (स्तर-II/स्तर-III) एवं समकक्ष पदों हेतु चयन इस मापदण्ड के आधार पर किया जायेगा।

(1) पात्रता

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ग अर्थात सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अर्ह अभ्यर्थियों की अलग-अलग पात्रता सूची तैयार की जायेगी जिसमें यथा संभव उस विशेष वर्ग की रिक्तियों की संख्या के तीन गुना, किन्तु कम से कम आठ नाम रखे जायेंगे।

परन्तु अग्रेतर प्रतिबन्ध यह होगा कि यदि भर्ती एक से अधिक वर्ष की रिक्तियों के लिए की जाती है तब उस स्थिति में अलग-अलग वर्षों के सम्बन्ध में अलग-अलग पात्रता सूची तैयार की जायेगी तथा ऐसी सूची बनाते समय उसमें पात्र अभ्यर्थियों की संख्या निम्नानुसार रखी जायेगी :-

(क) दूसरे वर्ष के लिए – उपरोक्त अनुपात में तथा प्रथम वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग।

(ख) तीसरे वर्ष के लिए – उपरोक्त अनुपात में तथा प्रथम व द्वितीय वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग।

(II) चयन हेतु विचारणीय अवधि

(क) पदोन्नति हेतु जिस वर्ष की रिक्तियों के आधार पर विचार होना हो उससे पिछले दस वर्ष की अवधि की चरित्र पंजिका की प्रविष्टियों/सेवा अभिलेखों पर विचार किया जायेगा।

(ख) पिछले दस वर्ष की अवधि में दो वर्षों की अवधि तक की प्रविष्टियाँ उपलब्ध न होने की दशा में उपलब्ध वर्षों की प्रविष्टियों के वार्षिक औसत के आधार पर उन वर्षों की प्रविष्टियों के अंकों की गणना की जायेगी।

(ग) पिछले दस वर्षों की अवधि में तीन अथवा उससे अधिक वर्षों की प्रविष्टियाँ उपलब्ध न होने पर उतनी अवधि की पिछले दस वर्षों से ठीक पूर्व की उपलब्ध प्रविष्टियाँ विचार में ली जायेंगी।

(घ) तीन महीने से कम अवधि की प्रविष्टियाँ, अंकों की गणना हेतु विचार में नहीं ली जायेंगी।

(ङ).1 वर्ष विशेष में कम से कम चार माह अथवा उससे अधिक की प्रविष्टि उपलब्ध होने पर, उस प्रविष्टि को, पूरे वर्ष की प्रविष्टि माना जायेगा।

(ख) किसी भी अवधि की सत्यनिष्ठा प्रमाणित न होने की दशा में सम्बन्धित वर्ष के बाद के लगातार तीन वर्षों तक सत्यनिष्ठा प्रमाणित होने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारी को चयन हेतु उपयुक्त नहीं माना जायेगा ।

(iii) <u>चयन समिति</u>

विभिन्न नियमावलियों/परिपत्रादेशों (यथा संशोधित) द्वारा घोषित चयन समिति का गठन किया जायेगा ।

(iv) <u>चरित्र पंजिका के अभिलेख</u>

परिपत्रादेश संख्या 6900-सी.एक्स./85-9सी.एक्स/78, दिनांक 30.5.1985, अन्य संगत आदेशों एवं उनके संशोधन यदि कोई हो, के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(v) <u>वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का मूल्यांकन</u>

(1) उत्कृष्ट (आउटस्टैंडिंग) -- 20 अंक
(2) अति उत्तम (वेरी-गुड) -- 16 अंक
(3) उत्तम (गुड) -- 12 अंक
(4) सामान्य (फेयर-सैटिसफैक्टरी) -- 6 अंक
(5) खराब (पुअर) -- कोई अंक नहीं

प्रतिवेदक, समीक्षक एवं अन्तिम अधिकारी द्वारा दी गई भिन्न-भिन्न कोटियों के आधार पर निम्नानुसार मूल्यांकन किया जायेगा :-

(1) प्रतिवेदक अधिकारी 20 प्रतिशत
(2) समीक्षक अधिकारी 30 प्रतिशत
(3) अन्तिम अधिकारी 50 प्रतिशत

यदि प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा दी गई प्रतिकूल प्रविष्टि, प्रशासी अधिकारी द्वारा प्रत्यावेदन देने पर पुनर्विचारोपरान्त समाप्त कर दी गई है तो उस अवस्था में समीक्षक अधिकारी द्वारा दी गई टिप्पणी को संज्ञान में लिया जायेगा ।

(vi) <u>ऋणात्मक अंकों का अंकन</u>

(क) निन्दा प्रविष्टि हेतु 6 अंक प्रति निन्दा प्रविष्टि घटाये जायेंगे। कोई भी निंदा प्रविष्टि सम्बन्धित अधिकारी के स्पष्टीकरण पर विचारोपरान्त ही दी जाय ।

(ख) अनुशासनिक कार्यवाही के फलस्वरूप वार्षिक वेतन वृद्धि रोका जाना/आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति जैसे दण्ड पर छः से बारह अंक घटाये जायेंगे। अंक घटाते समय [illegible] अभियोग/आरोप किस प्रकार का और किस अवधि एवं वर्ष से सम्बन्धित है, इसका ध्यान रखा जायेगा ।

(ग) भारी दण्ड पाने की स्थिति में विचारणीय आलोच्य अवधि से पूर्व के कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रदत्त दण्ड पर भी ... अवधि के कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रदत्त दण्ड पर ... घटाये जायेंगे।

(vi) <u>प्राप्तांकों के आधार पर अभ्यर्थियों का श्रेणीकरण</u>

श्रेणी-1 नब्बे (90) प्रतिशत या 100 अंक, अथवा अधिक, अर्जित करने वाले अभ्यर्थी श्रेणी-1 में वर्गीकृत होंगे। इस श्रेणी हेतु अंकों का अर्जन निम्न विचारणीय दस वर्षों की प्रविष्टियों पर किया जायेगा। विचारणीय अवधि (दस वर्ष) के अंतर्गत ऐसी प्रविष्टियाँ उपलब्ध न होने की अवस्था में विचारणीय अवधि से ठीक पूर्व की ऐसी प्रविष्टियाँ विचार में ली जायेंगी तथा उस अवधि की विचारणीय अवधि की सबसे पहली प्रविष्टियाँ विलुप्त मानी जायेंगी।

श्रेणी-2 मुख्य अभियंता (स्तर-1) एवं समकक्ष पद हेतु सत्तर (70) प्रतिशत (अर्थात 40) अंक। तथा

मुख्य अभियंता (स्तर-2) एवं समकक्ष पद हेतु पैंसठ (65) प्रतिशत (अर्थात 30) अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी श्रेणी-2 में वर्गीकृत होंगे।

श्रेणी-3 श्रेणी-2 में विभिन्न स्तर के अधिकारियों के मापदण्डों से कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी श्रेणी-3 में वर्गीकृत होंगे।

(vii) <u>चयन तथा चयन सूची का तैयार किया जाना</u>

(क) पूर्वकथित प्रस्तर-(vi) के अनुसार श्रेणी-3 में वर्गीकृत अभ्यर्थी किसी भी पद पर चयन हेतु उपयुक्त नहीं होंगे।

(ख) प्रस्तर (vi) के अनुसार वर्गीकृत/वर्गीकरण करने के पश्चात सर्वप्रथम श्रेणी-1 के अभ्यर्थियों में से उनके वरिष्ठता क्रम के अनुसार चयन किया जायेगा। तदनन्तर आवश्यकतानुसार श्रेणी-2 के अभ्यर्थियों में से शेष रिक्तियों के लिए चयन किया जायेगा। इस प्रकार विभिन्न वर्गों के श्रेणी-1, 2 में से चयनित समस्त अभ्यर्थियों के नाम उनके मूल वरिष्ठता क्रमानुसार पुनर्व्यवस्थित करके चयन सूची (सेलेक्ट लिस्ट) बनाई जायेगी जो उनकी पारस्परिक वरिष्ठता सूची होगी तथा इसी वरिष्ठता सूची के क्रमानुसार ही नियुक्ति आदेश जारी किए जायेंगे।

2. <u>जहाँ अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता मापदण्ड है</u>

मुख्य अभियंता (स्तर-1)/(स्तर-2) एवं समकक्ष पदों से निम्न स्तर के पदों के अधिकारियों/कर्मचारियों का चयन इस मापदण्ड के आधार पर किया जायेगा।

(1) <u>पात्रता</u> नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक वर्ग अर्थात सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ज्येष्ठतम अर्ह अभ्यर्थियों की अलग-अलग तीन सूचियाँ उक्त वर्ग के लिए उपलब्ध

रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुए तैयार करेगा, जिनमें यथा सम्भव निम्नलिखित अनुपात में नाम लिए जायेंगे:-

एक से पाँच रिक्तियों के लिए	रिक्तियों की संख्या का दुगना, किन्तु कम से कम पाँच
पाँच से अधिक रिक्तियों के लिए	रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना, किन्तु कम से कम दस।

परन्तु अग्रेतर प्रतिबंध यह होगा कि यदि भर्ती एक से अधिक वर्ष की रिक्तियों के लिए की जाती है तब उस स्थिति में अलग-अलग वर्षों के सम्बन्ध में अलग-2 पात्रता सूची तैयार की जायेगी तथा ऐसी सूची बनाते समय उसमें पात्र अभ्यर्थियों की संख्या निम्नानुसार रखी जायेगी :-

(क)	दूसरे वर्ष के लिए	उपरोक्त अनुपात में तथा प्रथम वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग।
(ख)	तीसरे वर्ष के लिए	उपरोक्त अनुपात में तथा प्रथम व द्वितीय वर्षों की रिक्तियों की संख्या का योग।

(ii) <u>चयन हेतु विचारणीय अवधि</u>

(क) चयन हेतु प्रोन्नति के पद से ठीक पिछले पद पर की गई सेवा की अवधि अथवा <u>दस वर्ष, जो भी कम</u> हो, की वार्षिक चरित्र पंजिका (सी.आर.डोजियर)/सेवा अभिलेख (पर्सनल फाइल) विचार में लिए जायेंगे।

(ख) तीन महीने से कम अवधि की प्रविष्टियाँ विचार में नहीं ली जायेंगी।

(ग) कम से कम चार मास अथवा उससे अधिक की प्रविष्टि उपलब्ध होने पर, उस प्रविष्टि को, पूरे वर्ष की प्रविष्टि माना जायेगा।

(घ) किसी भी अवधि की सत्यनिष्ठा प्रमाणित न होने की दशा में सम्बन्धित वर्ष के बाद के लगातार तीन वर्षों तक सत्यनिष्ठा प्रमाणित होने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी चयन हेतु उपयुक्त नहीं माना जायेगा।

(iii) <u>चयन समिति</u>

विभिन्न नियमावली/परिपत्रों (यथा संशोधित) द्वारा घोषित चयन समिति का गठन किया जायेगा।

<u>चरित्र पंजिका के अभिलेख</u>

(क) [illegible] दण्ड दिया गया है उस वर्ष की प्रविष्टि खराब/प्रतिकूल मानी जायेगी दण्ड लघु या वृहद हो सकता है। जहाँ किसी अधिकारी को लघु दण्ड प्रदान किया गया हो वहाँ उसकी एक गोपनीय प्रविष्टि उस वर्ष की खराब मानी जायेगी, जिस वर्ष उसे दण्ड प्रदान किया गया है। परन्तु यदि लघु दण्ड स्वरूप उसकी एक या एक से अधिक वेतन

(6) C-41

(5)

वृद्धि रोकी गई हो अथवा वृहद दण्ड प्रदान किया गया हो तो उन मामलों में जिस वर्ष उनको दण्ड दिया गया है उस वर्ष की प्रविष्टि खराब/प्रतिकूल माने जाने के अलावा अतिरिक्त वर्ष/वर्षों की प्रविष्टि प्रतिकूल माने जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित चयन समिति द्वारा, दिये गये दण्ड को ध्यान में रखते हुए, निर्णय लिया जायेगा ।

(आ) परिपत्रादेश संख्या 6900-सी.एस/85-9सी.एस/70, दिनांक 30.5.1985, अन्य संगत आदेशों एवं उनके संशोधन यदि कोई हो, के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(iv) चयन तथा चयन सूची को तैयार किया जाना ।

(क) अधिशासी अभियंता एवं अन्य संवर्गों के समकक्ष स्तर तक के पदों पर प्रोन्नति हेतु "अनुपयुक्त" ऐसे अभ्यर्थी को माना जायेगा जिसकी दस वर्ष की सेवा अवधि में अर्जित खराब/प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टियों (दण्ड के फलस्वरूप मानी गई खराब/प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टियों को सम्मिलित करते हुए) की संख्या चार अथवा उससे अधिक है ।

प्रतिबन्ध यह होगा कि सम्बन्धित अधिकारी की अन्तिम तीन वार्षिक गोपनीय आख्याओं में से दो वार्षिक गोपनीय आख्यायें, अन्तिम वर्ष को सम्मिलित करते हुए, ठीक होना आवश्यक होगा ।

दस वर्ष से कम की विचारणीय सेवा अवधि के मामलों में उपर्युक्तानुसार खराब/प्रतिकूल प्रविष्टियों की संख्या 40 (चालीस) प्रतिशत अथवा उससे अधिक होगी ।

(ख) अधीक्षण अभियंता एवं अन्य संवर्गों के समकक्ष स्तर के पदों पर प्रोन्नति हेतु अनुपयुक्त ऐसे अभ्यर्थी को माना जायेगा, जिसकी दस वर्ष की सेवा अवधि में अर्जित खराब/प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टियों (दण्ड के फलस्वरूप मानी गई खराब/प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टियों को सम्मिलित करते हुए) की संख्या तीन अथवा उससे अधिक हो। प्रतिबन्ध यह होगा कि सम्बन्धित अधिकारी की अन्तिम तीन वार्षिक गोपनीय आख्याओं में से दो वार्षिक गोपनीय आख्यायें, अन्तिम वर्ष को सम्मिलित करते हुए, ठीक होना आवश्यक होगा ।

दस वर्ष से कम की विचारणीय सेवा अवधि के मामले में उपर्युक्तानुसार खराब/प्रतिकूल प्रविष्टियों की संख्या 30 (तीस) प्रतिशत अथवा उससे अधिक होगी ।

(ग) इस सिद्धान्त के अनुसार रिक्तियों को देखते हुए उनके अनुपात में निर्धारित संख्या के पात्रता क्षेत्र के अभ्यर्थियों के नामों पर वरिष्ठता क्रम में विचार किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम वरिष्ठतम अभ्यर्थी के नाम पर विचार कर उसे उपयुक्त या अनुपयुक्त घोषित करने के बाद दूसरे तथा तीसरे और आगे इसी प्रकार के अभ्यर्थियों

के नामों पर विचार किया जाना चाहिए, जब तक रिक्तियों की तुलना में वांछित संख्या में प्रोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो जाय। जब प्रोन्नति के लिए वांछित संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाय तब उसके बाद के अभ्यर्थियों के नामों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। विभिन्न वर्गों के चयनित अभ्यर्थियों के नाम उनके मूल वरिष्ठता क्रमानुसार पुनर्व्यवस्थित करके चयन सूची (सेलेक्ट लिस्ट) बनाई जायेगी, जो उनकी पारस्परिक वरिष्ठता सूची होगी तथा इसी वरिष्ठता सूची के क्रमानुसार ही नियुक्ति आदेश जारी किए जायेंगे।

3. उपर्युक्त अनुसार दोनों प्रकार के चयनों हेतु निर्धारित मानदण्डों से अनाच्छादित बिन्दुओं के सम्बन्ध में चयन समिति अपने विवेक से निर्णय लेगी।